"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 मार्च 2002—फाल्गुन 30, शक 1923

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-12-12/15/सह./2002/291.—यत: कतिपय सहकारी सोसाइटियों की उप-विधियों के अधीन समिति के आधे से अधिक सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था उन्हीं व्यक्तियों में से है जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं. विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-1/15/सहकारिता/2001, तारीख 29 नवम्बर, 2001 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के प्रतिनिधियों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी की समिति की अवधि बढ़ाई गई है और राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसी असंख्य सहकारी सोसाइटियों की समिति की अवधि बढ़ायी जाने से राज्य में उनके कृत्यों को सुकर तथा आसान बनाया जा सकेगा.

अतएव, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 49 की उप-धारा (7 कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, ऐसी सहकारी सोसाइटियों की समिति की अवधि, उनकी अपनी-अपनी अवधि के समाप्त होने से 6 मास तक की कालावधि के लिए बढ़ाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2002

क्रमांक एफ-12-12/15/सह./2002/292—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक एफ-12-12/15/सह./2002/291, दिनांक 21 मार्च 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 21st March 2002

NOTIFICATION

No. F-12-12/15/Co./2002/291 :—Whereas, the election of more than a half numbers of elected members of the committee is provided under the bylaws of some Co-operative societies, from the representatives of primary agriculture co-operative credit societies and the term of the committee of primary agricultrue co-operative credit societies is extended vide departmental notification No. F-7-1/15/co-operation/2001, dated 29 November 2001 and the State Government is satisfied that, the extension of the term of the committee of such numerous Co-operative societies, will facilitate there smooth functioning in the state.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7 AA) of Section 49 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government hereby extends the term of the Committees of such societies for a period of 6 (six) months from the date of expiry of the term of their respective commitees.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. K. S. RAY, Principal Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.